(87)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकः 3(4)कार्मिक/ख–3/अवधाता/2016 जयपुर, दिनांक 19 DEC 2019

–:परिपत्रः–

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 द्वारा राज्य सेवा में होने वाली विभिन्न पदो पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबन्धता (Undertaking) प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया।

प्रायः यह देखने में आया है की धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबन्धता (Undertaking) देने के उपरान्त भी कई अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त नियम का पालन नही कर रहे है। शासन सचिवालय राजस्थान सरकार का मुख्य केन्द्र है तथा सचिवालय में प्रतिदिन सम्पूर्ण राज्य से माननीय सांसदगण/माननीय विधानसभा सदस्यगण/अन्य विशिष्ठजन/ अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हजारों की संख्या में आगन्तुक आते है। साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानो की श्रेणी मे आता है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिगणों के कार्यालय स्थित है।

अति महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी शासन सचिवालय परिसर में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करना अत्यन्तः दुखद एवं असंतोषजनक है। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है की कोई भी व्यक्ति अगर शासन सचिवालय परिसर में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करता हुआ पाया जाता है तो विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

शासन सचिवालय परिसर को तम्बाकू मुक्त राजकीय कार्यालय के रूप में विकसित करने के लिये तम्बाकू मुक्त शासन सचिवालय गाईडलाईन में निम्नांकित बिन्दुओं को प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है:–

1. शासन सचिवालय में किसी भी राजकिय कार्मिक व आगन्तुक के द्वारा तम्बाकू उत्पाद एवं पान मसालों का प्रयोग प्रतिबंधित है।
2. शासन सचिवालय परिसर के 100 गज के दायरे में तथा परिसर में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः निषेध है। नियमों की पालना हेतु समय–समय पर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत कर कर प्रत्येक उल्लंघन पर 200/– रूपये जुर्माना लगाया जाना विनिश्चित किया गया है।
3. शासन सचिवालय के मुख्य द्वार परं साइनेज (जिस पर तम्बाकू मुक्त शासन सचिवालय लिखा हो तथा सचिवालय परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही करने) का प्रदर्शन एवं सचिवालय परिसर के गलियारों में साइनेज (जिस पर तम्बाकू मुक्त शासन सचिवालय लिखा हो) का प्रदर्शन किया जा कर कार्मिको एवं आगन्तुको को जागरूक करना तथा समय–समय पर अधिकृत सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुको की जॉच करें और सुनिश्चित करें की सचिवालय परिसर मे धूम्रपान व तम्बाकू का प्रवेश नहीं हो।

आपके सहयोग से हम तम्बाकू मुक्त शासन सचिवालय एवं तम्बाकू मुक्त राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर होंगे।

(असलम शेर खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
6. विशिष्ठ सहायक/निजी सहायक, कार्यालय माननीय मंत्रीगण/संबंधित विभाग।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कार्मिक (ख–3/सुरक्षा) विभाग।
8. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, कार्मिक विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(प्रेम नारायण सेन)
पंजीयक
O/C